

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमिंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई 2010—श्रावण 7, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. 16019-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपर्योगों के पालन में मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2010 को पुरास्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१०

## मध्यप्रदेश कपास बीज ( पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण ) विधेयक, २०१०

## विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. नियंत्रक की नियुक्ति.
४. नियंत्रक की शक्तियां.
५. नियंत्रक के कृत्य.
६. विक्रेता के लिये अनुज्ञाप्ति.
७. राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला.
८. कृषकों को प्रतिकर.
९. बीज निरीक्षक.
१०. बीज विश्लेषक.
११. बीज विश्लेषक की रिपोर्ट
१२. मूल्य नियत करने की शक्ति.
१३. शास्ति.
१४. कंपनियों द्वारा अपराध.
१५. अपराधों का संज्ञान.
१६. सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१७. अपील.
१८. कपास बीज का सम्पहरण
१९. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.
२०. छूट.
२१. नियम बनाने की शक्ति.
२२. कठिनाई दूर करने की शक्ति.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१०

## मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, २०१०.

कपास बीज की पूर्ति, वितरण एवं विक्रय को विनियमित करने तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) अधिनियम, २०१० है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ।

(क) “सस्य विज्ञान कार्य” से अभिप्रेत है, लेबल पर उत्पादक द्वारा यथा दावाकृत, कार्य के मूल्यांकन के लिये विचार में ली गई किसी कपास बीज की किस्म का विशेषणीय सस्य-गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताएँ;

(ख) “नियंत्रक” से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन शासन द्वारा नियुक्त किया गया कपास बीज नियंत्रक;

(ग) “कपास बीज” से अभिप्रेत है किसी भी किस्म का बीज और उसमें सम्मिलित है बुआई के लिये उपयोग की जाने वाली परानुवांशिक और आनुवांशिक रूप से रूपांतरित बीज किस्में;

(घ) “कृषक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि पर खेती द्वारा कपास की फसल उगाता है, किन्तु इसमें ऐसे व्यक्ति, कम्पनियां, व्यापारी और डीलर सम्मिलित नहीं होंगे जो वाणिज्यिक उपार्जन और बीजों के विक्रय में लगे हुए हैं;

(ङ) “मिथ्या छापवाले” से अभिप्रेत है कोई बीज, मिथ्या छापवाला समझा जाएगा।—

(एक) यदि वह अन्य किस्म से उस बीज का प्रतिरूप है या उसका इस प्रकार समरूप है कि उसमें बीज की उस अन्य किस्म का धोखा हो सकता है जिसके नाम में वह बताया गया है, और/उस पर इस प्रकार सुम्पेट और सहज दृश्य रूप में संबल नहीं चिपकाया गया है जिसमें कि उसकी सही प्रकृति का संकेत मिल सके; या

(टो) यदि उसके किसी स्थान या देश की उपज होने का मिथ्या कथन किया गया है; या

(तीन) यदि यह ऐसे नाम से विक्रय किया गया है जो कि बीज के किसी दूसरे प्रकार या किस्म से संबंधित है; या

(चार) यदि इसके लेबल पर या अन्यथा झूठे दावे किए गए हैं; या

(पाँच) यदि वह किसी ऐसे पैकेज में बेचा गया है जो डीलर द्वारा या उसके अनुरोध पर सील किया गया या तैयार किया गया है, और जिस पर उसका नाम तथा पता है, प्रत्येक पैकेज की अन्तर्वस्तुओं का उसके बाहरी भाग पर इस अधिनियम के अधीन विहित की गई हेरफेर की सीमाओं के भीतर स्पष्टतः और सही-सही कथन नहीं किया गया है; या

(छह) यदि, पैकेज जिसमें यह अंतर्विष्ट है या पैकेज के लेबल पर उसमें अंतर्विष्ट कपास बीज की गुणवत्ता के संबंध में कोई ऐसा कथन, आकृति (डिजाइन) या युक्ति दी गई है, जो कि किसी भी रीति में मिथ्या या भ्रामक है; या

(सात) यदि, यह इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित रीति में रजिस्ट्रीकृत नहीं है; या

(आठ) यदि इसके लेबल पर ऐसी कोई चेतावनी या सावधानी अन्तर्विष्ट नहीं है जिसको कि यदि कार्यान्वयित किया जाए, मानव और पशुओं के प्रति जोखिम के निवारण के लिए आवश्यक और पर्याप्त हो; या

(नौ) यदि उस पैकेज पर जिसमें यह अन्तर्विष्ट है या पैकेज के लेबल पर, या उसके प्रकार या किस्म के डीलर के रूप में किसी काल्पनिक व्यक्ति या कम्पनी का नाम है; या

(दस) यदि उस पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षा के अनुरूप लेबल नहीं लगाया गया है;

(च) “उत्पादक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, फर्म, कम्पनी या संगठन जो कपास बीज उगाता है या कपास बीज के उत्पादन का प्रबंध करता है;

(छ) “अप्रमाणिक बीज” से अभिप्रेत है वह बीज जो अपने प्रकार का वास्तविक या सही बीज नहीं है;

(ज) “राज्य परामर्श बीज परीक्षण प्रयोगशाला” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा स्थापित या इस रूप में घोषित प्रयोगशाला;

(झ) “अमानक बीज” से अभिप्रेत है ऐसे कपास बीज जो कपास बीज के लिए विहित बीज मानकों की पूर्ति नहीं करते हों;

(ज्र) “परानुवांशिक किस्म” से अभिप्रेत है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से आनुवांशिक संघटन के उपांतरण या परिवर्तन द्वारा संश्लेषित या विकसित बीज या रोपण सामग्री; और

(ट) “किस्म” से अभिप्रेत है निम्नतम ज्ञात श्रेणी के एकल वानस्पतिक वर्गीकरण (टेक्सॉन) के भीतर सूक्ष्म शरीर रचना को छोड़कर एक पादप समूहीकरण, जो कि :

(एक) उस पादप समूहीकरण के जीनोटाईप के परिणामस्वरूप, विशेषताओं की अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जा सकता है;

(दो) उक्त विशेषताओं में से कम से कम एक ही अभिव्यक्ति द्वारा किसी अन्य पादप समूह से अलग किया जा सकता है; और

(तीन) उत्पन्न किए जाने के लिए उसकी उपयुक्तता के संबंध में एक ऐसी इकाई के रूप में समझी जा सकती हो जो उसकी इस प्रकार उत्पत्ति के पश्चात् अपरिवर्तित रहती है और उसमें ऐसी किस्म उत्पन्न करने वाले पदार्थ, विद्यमान किस्म, परानुवांशिकी किस्म, कृषक की किस्म तथा वास्तविक रूप से उत्पन्न किस्म सम्मिलित हैं।

३. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक अधिकारी को कपास बीज नियंत्रक के रूप में नियुक्त नियंत्रक की नियुक्ति कर सकेगी।

४. (१) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नियंत्रक, जहां तक कि कपास बीज की पूर्ति या नियंत्रक की वितरण या विक्रय को विनियंत्रित करने, बनाए रखने या उसे बढ़ाने के लिये उसे ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, लिखित में आदेश द्वारा,—

(क) कपास (काटन) बीज का स्टॉक रखने वाले किसी व्यक्ति से उसे सम्पूर्ण या उसके विनिर्दिष्ट किए गए भाग को ऐसी कीमतों पर जैसी कि समय-समय पर शासन द्वारा नियत की जाएं और ऐसे व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों में जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विक्रय करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) कपास बीज की पूर्ति, वितरण और विक्रय में लगे हुए किसी व्यक्ति से उसके द्वारा समय-समय पर विक्रय या वितरित किए जाने वाले कपास बीज की किस्म, गुणवत्ता या मात्रा के बारे में ऐसे नियंत्रण का, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पालन करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(२) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन आदेश जारी किया गया है, किसी ऐसी संविदा या अन्य लिखत में, जिसमें कि वह एक पक्षकार है, किसी असंगत बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा।

५. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया नियंत्रक निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :— नियंत्रक के कृत्य

(क) उत्पादन पहलुओं और संचालन क्षेत्रों आदि को सम्यक् रूप से उपदर्शित करते हुए कपास के व्यवसाय में लगी कपास बीज फर्मों को अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण करने की व्यवस्था करेगा;

(ख) कृषकों को प्रतिकर का भुगतान किए जाने की व्यवस्था करेगा;

(ग) अनिवार्य डी. एन. ए. अंगुली छाप परीक्षण (डी. एन. ए. फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट) या आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण (जेनेटिक प्यूरिटी टेस्ट) द्वारा कपास बीज के विक्रय के विनियमन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देगा; और

(घ) ऐसे अन्य मामले जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

६. (१) कपास बीज के विक्रय का व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यावर्त, नियंत्रक को, विक्रेता के लिए अनुज्ञाप्त प्रदान करने हेतु ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा जो कि विहित किया जाए।

(२) ऐसे आवेदन के साथ ऐसी फोस और ऐसे अन्य दस्तावेज सलग्न किये जाएंगे जैसे कि विहित किए जाएं।

(३) नियंत्रक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, आवेदन को या तो स्वीकार करेगा या उसे निरस्त करेगा।

(४) यदि नियंत्रक आवेदन को स्वीकार करता है, तो वह ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे प्रूप में जो कि विहित किये जाएं, कपास बीज के विक्रय को व्यवसाय करने के लिए अनुमति जारी करेगा।

राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला।

७. राज्य सरकार, नियंत्रक के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा,—

(क) एक या एक से अधिक राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी या सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र की किसी बीज परीक्षण प्रयोगशाला को राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में घोषित कर सकेगी जहां कि विहित रीति में कपास बीज का विश्लेषण किया जाएगा;

(ख) एक या एक से अधिक बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को विहित रीति में परामर्श विश्लेषण के प्रयोजन के लिए परामर्श बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी।

कृषकों को प्रतिकर.

८. (१) कपास बीज के उत्पादक या वितरक या विक्रेता, जिनका पता लेबल पर आया है, नियंत्रक को, दी गई शर्तों के अधीन ऐसे बीज के प्रत्याशित निष्पादन को प्रकट करेगा और यदि ऐसे बीज, ऐसे दी गई शर्तों के अधीन प्रत्याशित निष्पादन करने में असफल रहते हैं तो राज्य सरकार या कृषक ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, प्रतिकर का दावा कर सकेंगे और परानुवांशिक बीज के संबंध में सभी शर्तों, जो कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति द्वारा लागू की गई हैं, का अनुपालन किया जाएगा।

(२) यदि प्रत्याशित निष्पादन का दावा बनावटी पाया जाता है, तो ऐसे कपास बीज का प्रसंस्करणकर्ता, उपधारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट सत्य विज्ञान कार्य से संबंधित ऐसे सभी दावों के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(३) उपधारा (१) और (२) के अधीन देय प्रतिकर, प्रत्येक कृषि जलवायु संबंधी परिक्षेत्र के लिए पृथक रूप से नियुक्त की गई फसल विशेषज्ञों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी समिति जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, द्वारा निर्धारित तथा नियत किया जाएगा।

बीज निरीक्षक.

९. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, बीज निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा वह क्षेत्र विनिर्दिष्ट करेगी जिसके भीतर वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(२) बीज निरीक्षक, यदि उसके पास यह जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने जो कपास के बीज का व्यवसाय करता है, नियंत्रक द्वारा जारी किए गए शर्तों का कोई उल्लंघन किया है या कपास बीज की गुणवत्ता में सन्देह करता है या कोई व्यक्ति कपास बीज के संबंध में अपराध करता है तो वह किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा नमूना (सेम्पल) लेगा और कपास बीज के भण्डार तथा अभिलेखों को निरुद्ध या अभिग्रहण करेगा तथा बीज विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् वह ऐसी समस्त कार्रवाई करेगा जैसी कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

(३) प्रत्येक बीज निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक संवक्ता समझा जाएगा तथा शासकीय रूप से ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ होगा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

बीज विश्लेषक.

१०. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, बीज विश्लेषक नियुक्त करेगी, और वह क्षेत्र विनिर्दिष्ट करेगी जिसके भीतर वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

११. (१) बीज विश्लेषक, बीज निरीक्षक से नमूने प्राप्त करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य बीज प्रयोगशाला में नमूने का विश्लेषण करवायेगा और विश्लेषण के परिणाम पर एक रिपोर्ट प्रयोगशाला को नमूने की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बीज निरीक्षक को देगा।

बीज विश्लेषक की रिपोर्ट।

(२) बीज निरीक्षक, उपधारा (१) के अधीन बीज विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर यथास्थिति, उक्त बीज के उत्पादक या विक्रेता पर अभियोजन की कार्यवाही संस्थित करेगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन संस्थित होने के पश्चात् यथास्थिति, अभियुक्त उत्पादक या विक्रेता या शिकायतकर्ता, विहित फीस का भुगतान करने पर बीज निरीक्षक के पास प्रतिधारित किसी नमूने को भेजने के लिए या मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार, उत्पादक या विक्रेता उसकी रिपोर्ट के लिए धारा ७ में निर्दिष्ट किसी प्रयोगशाला के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा, न्यायालय सर्वप्रथम यथाविहित चिन्ह या सील या कसाब को अभिनिश्चित करेगा और आवेदन के प्राप्त होने पर न्यायालय इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट प्रयोगशाला को उसके स्वयं की सील के अधीन नमूने को भेज सकेगा, जो उस पर नमूने के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विश्लेषण का परिणाम विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेगा।

(४) उपधारा (३) के अधीन निर्दिष्ट प्रयोगशाला द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, उपधारा (१) के अधीन बीज विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट को अतिष्ठित करेगी।

(५) जब उपधारा (३) के अधीन निर्दिष्ट प्रयोगशाला द्वारा भेजी गई रिपोर्ट किन्हीं कार्यवाहियों में प्रस्तुत की जाती है, तब विश्लेषण के लिए गये किसी ऐसे नमूने या उसके भाग को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(१२) (१) राज्य सरकार, उत्पादन आदि जिसमें विशेष मूल्य सम्मिलित है की लागत तथा विभिन्न संबंधित ऐजेन्सियों (अभिकरणों) से प्राप्त संबंधित अन्य कारकों जहां कहीं आवश्यक हो, पर विचार करने के पश्चात् समस्त प्रकार के कपास बीजों का समय-समय पर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकेगी।

मूल्य नियत करने की शक्ति।

(२) इस प्रकार नियत किया गया अधिकतम विक्रय मूल्य राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

(१३) (१) यदि कोई व्यक्ति, धारा ४ के अधीन नियंत्रक द्वारा उसे जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा अथवा ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

शास्ति।

(२) कोई व्यक्ति जो मिध्याछाप का अनुप्रमाणक (नकली) और अवमानक बीज के विक्रय करने का कृत्य करता है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

१४. यदि धारा ४ के अधीन नियंत्रक द्वारा जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी या अन्य निगमित निकाय है तो उसका प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या उसका अभिकर्ता, जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि उल्लंघन बिना उसकी जानकारी के हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सम्यक् सावधानी बरती है, ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

१५. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे अपराध के घटित होने के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के सिवाए संज्ञान नहीं लेगा।

अपराधों का संज्ञान।

१६. (१) धारा ४ के अधीन जारी किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति (जिसमें नियंत्रक सम्मिलित है) के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

(२) धारा ४ के अधीन जारी किये गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी हानि या सम्भाव्य किसी हानि के संबंध में राज्य सरकार, नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अपील.

१७. (१) धारा ४ के अधीन नियंत्रक के विनिश्चय से व्यक्ति, उस तारीख से जिसको विनिश्चय संसूचित किया गया है, तीस दिन के भीतर और ऐसी फीस जो विहित की जाए का भुगतान करने पर ऐसे प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से प्रविरत हो गया था।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण यथासम्भव शीघ्रता से करेगा।

(३) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

कपास बीज का सम्पर्हण.

१८. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के लिए जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वह कपास बीज जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है, राज्य सरकार को सम्पहत हो जाएगा।

राज्य सरकार की नियम देने की शक्ति.

१९. राज्य सरकार, नियंत्रक, बीज निरीक्षक या बीज विश्लेषक को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

छूट.

२०. इस अधिनियम में की कोई बात, कृषक द्वारा उगाये गये या बेचे गए किसी कपास बीज या उसके द्वारा स्वयं के परिसर से किसी अन्य कृषक को रोपने के प्रयोजन के लिए उस कृषक को उपयोग किए जाने हेतु परिवर्त किया गया हो, लागू नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति.

२१. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित किया जाना या नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

कठिनाई दूर करने की शक्ति.

२२. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु उपधारा (१) के अधीन कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

बीज अधिनियम, १९६६ (केन्द्रीय अधिनियम १९६६ का ५४) के उपबंध, अधिसूचित किस्मों के संबंध में बीज की गुणवत्ता विनियमित करते हैं। विगत कुछ वर्षों से कृषि के तरीके विशिष्टतया बीज के उपयोग में सारखान परिवर्तन की दृष्टि से, उक्त उपबंध कपास की किस्मों, हाइब्रिड अनुसंधान आदि के लिए अपर्याप्त हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषकों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

२. आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) का हाल ही के संशोधन से अधिनियम की अनुसूची में से कपास को हटा दिया गया है। ऐसे व्यवसायी जो परानुवांशिक कपास बीज को सम्मिलित करते हुए कपास बीज के व्यापार में लगे हैं, संदिग्ध तरीके अपना रहे हैं और गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं, विशिष्टतया दुर्तंभ प्रकार के कपास बीजों के संबंध में, बीज के मूल्य के बारे में जो कृषि की प्रक्रिया में आवश्यक तथा महत्वपूर्ण लागत है अनुचित दबाव डाल रहे हैं जिसके कारण कई किसान ऋण के जाल में फँस जाते हैं और कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां दुर्तंभ प्रकार के कपास बीज के संबंध में उनके एकाधिकार का असम्यक् लाभ उठा रही हैं।

३. कृषक बिरादरी के हित में और परानुवांशिक कपास बीज को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कपास बीजों के निर्बाध प्रवाह प्रदाय, समान वितरण तथा मूल्यों के लिए यह समीचीन तथा आवश्यक है कि राष्ट्रीय बीज नीति, २००२ के सामंजस्य में कपास बीज विनियमन विधि लाई जाए।

४. विधेयक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

- (१) राज्य स्तर पर नियंत्रक को नियुक्त करना;
- (२) बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करना;
- (३) अप्रमाणिक या निम्न गुणवत्ता के बीज के प्रदाय को कम करना;
- (४) प्रभावी विनियामक पद्धति तैयार करना जिससे कपास बीज की प्रभावी गुणवत्ता, निश्चित प्रदाय, वितरण और उचित मूल्य को समर्थ बनाया जा सके;
- (५) विधि के उपबंधों के उल्लंघन की दशा में दण्ड का उपबंध करना;
- (६) निम्न गुणवत्ता के कपास बीज के प्रदाय की दशा में कृषकों को प्रतिकर के भुगतान हेतु पर्याप्त क्रिया विधि विनियमित करना;
- (७) अनिवार्य डी.एन.ए. अंगुली छाप परीक्षण (डी.एन.ए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट) या आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण (जेनेटिक प्युरिटी टेस्ट) के माध्यम से परानुवांशिक और आनुवांशिक रूप से उपांतरित किस्मों के व्यापार को विनियमित करने के लिए विनियामक क्रिया विधि को लाना;
- (८) राज्य में उत्पन्न तथा राज्य में आयात किए गए समस्त प्रकार के कपास बीज का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण।

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपालः

तारीखः २२ जुलाई, २०१०।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया  
भारसाधक सदस्य,

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

### प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १ (३)	अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड ३	कपास बीज नियंत्रक के रूप में एक अधिकारी को नियुक्त किये जाने;
खण्ड ४	कपास बीज नियंत्रक की शक्तियां;
खण्ड ६ (१)	विक्रेता के लिये अनुज्ञाप्ति प्रदान किये जाने हेतु प्ररूप विहित किये जाने;
(२)	अनुज्ञाप्ति हेतु फीस एवं अन्य दस्तावेज विहित किये जाने
(४)	कपास बीज के विक्रय का व्यवसाय किये जाने हेतु अनुज्ञाप्ति जारी किये जाने हेतु प्ररूप विहित किये जाने
खण्ड ७	राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित किये जाने के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने तथा विहित रीति में कपास बीज का विश्लेषण किये जाने;
खण्ड ८ (१)	विहित रीति में प्रतिकर का दावा किये जाने;
(३)	फसल विशेषज्ञों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी समिति अधिसूचित किये जाने;
खण्ड ९ (१)	अधिसूचना द्वारा बीज निरीक्षक नियुक्त किये जाने एवं अधिकारिता के प्रयोग हेतु क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जाने;
(३)	बीज नियंत्रक हेतु प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किये जाने;
खण्ड १०	अधिसूचना द्वारा बीज विश्लेषक नियुक्त किये जाने एवं अधिकारिता के प्रयोग हेतु क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जाने;
खण्ड ११ (३)	प्रतिधारित बीज के नमूने को बीज निरीक्षक के पास भेजने फीस विहित किये जाने तथा विहित प्ररूप में विश्लेषण का परिणाम भेजने;
खण्ड १२ (१)	समस्त प्रकार के कपास बीजों का समय-समय पर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने;
(२)	निर्धारित अधिकतम मूल्य प्रभावशील किये जाने की तिथि सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड १७ (१)	अपील किये जाने की फीस तथा प्राधिकारी नियुक्त किये जाने;
खण्ड १९	बीज नियंत्रक, बीज निरीक्षक या बीज विश्लेषक को निदेश दिये जाने;
खण्ड २१ (१)	अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित किये जाने;
खण्ड २२ (१)	आधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में होने वाली कार्टिनाई को दूर किये जाने; के संबंध में राज्य सरकार नियम ढाना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पर्यासी,

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनात्मक डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 399 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2010—श्रावण 8, शक 1932

---

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010

क्र. 4445-291-इकीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH BILL

No. 22 of 2010.

**THE MADHYA PRADESH KAPAS BIJ (PURTI, VITRAN EVAM VIKRAY KA VINYAMAN TATHA  
VIKRAY MULYA KA NIRDHARAN) VIDHEYAK, 2010****TABLE OF CONTENTS****Clauses :**

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Appointment of Controller.
4. Powers of Controller.
5. Functions of Controller.
6. Licence for vendor.
7. State Seed Testing Laboratory.
8. Compensation to farmers.
9. Seed Inspector.
10. Seed Analyst.
11. Report of Seed Analyst.
12. Power to fix the prices.
13. Penalties.
14. Offences by companies.
15. Cognizance of offences.
16. Protection of action taken in good faith.
17. Appeal.
18. Forfeiture of cotton seed.
19. Power of State Government to give directions.
20. Exemption.
21. Power to make rules.
22. Power to remove difficulty.

## MADHYA PRADESH BILL

No. 22 OF 2010.

## THE MADHYA PRADESH KAPAS BIJ (PURTI, VITRAN EVAM VIKRAY KA VINYAMAN TATHA VIKRAY MULYA KA NIRDHARAN) VIDHEYAK, 2010

**A Bill to regulate the supply, distribution and sale and fixation of sale price of cotton seeds and for the matters connected therewith and incidental thereto.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Kapas Bij (Purti, Vitran Evam Vikray Ka Vinyaman Tatha Vikray Mulya Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2010.

Short title, extent  
a n d  
commencement.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. In this Act unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (a) “agronomic performance” means distinguishable agronomic qualitative and quantitative characteristics of any cotton seed variety considered for evaluation of performance as claimed by the producer on label;
- (b) “Controller” means the Cotton Seed Controller appointed by the Government under section 3;
- (c) “cotton seed” means cotton seed of any variety and includes transgenic and genetically modified cotton seed varieties used for sowing;
- (d) “farmer” means any person who raises cotton crops either by cultivating the land by himself or through any other person but shall not include persons, companies, traders and dealers who engage in the commercial procurement and sale of seeds;
- (e) “misbranded” means that the seed shall be deemed to be misbranded,—
  - (i) if it is substitute for, or resembles in a manner likely to deceive, another variety of seed under the name of which it is sold, and is not plainly and conspicuously labelled so as to indicate its true nature; or
  - (ii) if it is falsely stated to be the produce of any place or country; or
  - (iii) if it is sold by a name which belongs to another kind or variety of seed; or
  - (iv) if false claims are made for it upon the label or otherwise; or
  - (v) if, when sold in a package which has been sealed or prepared by, or at the instance, of the dealer and which bears his name and address, the contents of each package are not conspicuously and correctly stated on the outside thereof within the limits of variability prescribed under this Act; or

- (vi) if the package containing it or the label on the package bears any statement, design or device regarding the quality of cotton seed contained therein, which is false or misleading in any manner; or
- (vii) if it is not registered in the manner required by or under this Act; or
- (viii) if its label does not contain a warning or caution which may be necessary and sufficient, if complied with, to prevent risk to human beings or animals; or
- (ix) if the package containing it or the label on the package bears the name of a fictitious individual or company as the dealer of the kind or variety; or
- (x) if it is not labelled in accordance with the requirements of this Act or rules made thereunder;
- (f) "producer" means a person, group of persons, firm, company or organization who grows or organises the production of cotton seed;
- (g) "spurious seed" means that which is not genuine or true to its type;
- (h) "State Referral Seed Testing Laboratory" means a laboratory established or declared as such by the State Government by a notification published in the official Gazette;
- (i) "substandard seeds" means cotton seed which does not meet the prescribed seed standards for the cotton seed;
- (j) "transgenic variety" means seed or planting material synthesized or developed by modifying or altering the genetic composition by means of genetic engineering; and
- (k) "variety" means a plant grouping except micro-organism within a single botanical taxon of the lowest known rank, which can be:
  - (i) defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype of that plant grouping;
  - (ii) distinguished from any other plant grouping by expression of at least one of the said characteristics; and
  - (iii) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated which remains unchanged after such propagation and includes propagating material of such variety, extant variety, transgenic variety, farmers variety and essentially derived variety.

**Appointment of Controller.**

3. The State Government may, by notification, appoint an officer to be the Cotton seeds Controller for the State.

**Powers of Controller.**

4. (1) Subject to the control of the State Government, the Controller, so far as it appears to him to be necessary or expedient for regulating, maintaining or increasing the supply or distribution or sale of cotton seeds, may, by order in writing,—

- (a) require any person holding stock of cotton seed to sell the whole or specified part thereof at such prices as may be fixed by the Government from time to time and to such persons in such circumstances as may be specified in the order;

(b) require any person engaged in the supply, distribution and sale of cotton seeds to comply with such directives as may be specified in the order as to the variety, quality or quantity of the cotton seeds to be sold or delivered by him from time to time.

(2) Any person to whom an order is issued under sub-section (1) shall comply with such order, notwithstanding anything inconsistent herewith contained in any contract or other instrument to which he is a party.

5. The Controller appointed under this Act shall perform the following functions, namely:— Functions of Controller.

- (a) arrange for mandatory registration of cotton seed firms which are engaged in trade of cotton seed duly indicating the production aspects and areas of operation etc;
- (b) arrange for payment of compensation to the farmers;
- (c) advise the State Government on matters relating to regulation of sale of cotton seed by way of compulsory DNA finger printing test or genetic purity test; and
- (d) such other matters as assigned to him by the State Government.

6. (1) Every person desirous to carry on the business of sale in cotton seeds shall apply to the Controller for the grant of licence in such form as may be prescribed. Licence for vendor.

(2) Such application shall be accompanied by such fees and such other documents, as may be prescribed.

(3) The Controller shall, after making such enquiry as he deems fit, either allows the application or reject it.

(4) If the Controller allow the application, he shall issue a licence to carry on the business of sale in cotton seeds, subject to such terms and conditions and in such form as may be prescribed.

7. The Government may in consultation with the Controller and by notification,— State Seed Testing Laboratory.

- (a) establish one or more State Seed Testing Laboratories or declare any seed testing laboratory in the Government or Non-Government sector as a State Seed Testing Laboratory where analysis of cotton seed shall be carried out in the prescribed manner;
- (b) recognize one or more seed testing laboratories as referral seed testing laboratories for the purpose of referral analysis in the prescribed manner.

8. (1) The producer or distributor or vendor of cotton seeds whose address appears on the label shall disclose the expected performance of such seed, under given condition to the Controller and if such seeds fail to provide the expected performance under such given conditions, the State Government or farmer may claim compensation in such manner as may be prescribed and in respect of transgenic seed all the conditions that are imposed by Genetic Engineering Approval Committee, has to be compiled. Compensation to farmers.

(2) In case the claim of expected performance found fictitious, the processor of such cotton seed shall be responsible for payment of all such claims related to agronomic performance as specified in sub-section (1).

(3) The compensation payable under sub-section (1) and (2) shall be assessed and fixed by the Committee appointed for each agro-climatic zone separately, consisting of crop experts and representatives of the State Governments, as may be notified by the State Government.

**Seed Inspector.** 9. (1) The Government may, by notification, appoint such person as it thinks fit, to be Seed Inspector and specify the areas within which he shall exercise his jurisdiction.

(2) The Seed Inspector, if he has information that any person dealing in trade of cotton seed, has contravened any of the conditions issued by the Controller, or suspecting the quality of the cotton seed or any person about to commit offence in respect of cotton seed, he shall enter and search any premises and draw samples and detain or seize the stock of cotton seed and records and after receiving the reports of Seed Analyst, shall take all further actions as specified in this Act.

(3) Every Seed Inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and shall be officially subordinate to such authority as the Government may specify in this behalf.

**Seed Analyst.** 10. The Government may, by notification, appoint such person as it thinks fit, to be the Seed Analyst and specify the areas within which he shall exercise his jurisdiction.

**Report of Seed Analyst.** 11. (1) The Seed Analyst shall, as soon as may be after the receipt of the sample from the Seed Inspector, analyze the sample at the State Seed Laboratory and furnish a report on the result of the analysis to the Seed Inspector, within thirty days from the date of receipt of the sample to the laboratory.

(2) The Seed Inspector shall on the basis of the report of the Seed Analyst under sub-section (1), institute proceedings for the prosecution of the producer or vendor, as the case may be, of the said seed.

(3) After institution of prosecution under this Act, the accused producer or vendor or, as the case may be, the complainant may on payment of the prescribed fee, make an application to the court for sending any of the sample retained with Seed Inspector or producer or vendor as per discretion of Magistrate to any of the laboratory referred to in Section 7 for its report, the court shall first ascertain the mark or seal or fastening as prescribed and on receipt of the application, the court may dispatch the sample under its own seal to any of the referred laboratory specified for the purpose, which shall thereupon send its report to the court in the prescribed form specifying the result of the analysis within a period of thirty days from the date of receipt of sample.

(4) The report send by the referred laboratory under sub-section (3) shall supersede the report given by the seed analyst under sub-section (1).

(5) When the report sent by the referred laboratory under sub-section (3) is produced in any proceedings. It shall not be necessary to produce any such sample or part thereof taken for analysis.

**Power to fix the prices.** 12. (1) The State Government may after taking into consideration of the cost of production etc. including trait value and other related factors wherever necessary, obtained from various agencies concerned, fix maximum sale price from time to time of all types of cotton seeds.

(2) Maximum sale price so fixed, shall be published in the official Gazette and shall be effective from such date as may be specified therein.

**Penalties.** 13. (1) If any person, contravenes any order issued to him by the Controller under Section 4, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(2) If any person commits any act of misbranding, sale of spurious and sub-standard seed shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

14. If the person contravening any order issued by the Controller under Section 4 is a company or other body corporate, every director, manager, secretary or other officer or agent thereof shall, unless he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention, be deemed to be guilty of such contravention. Offences by companies.

15. No court shall take cognizance of any offence punishable, under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the Controller or any other authority authorized by him. Cognizance of offences.

16. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person, (including the Controller) for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order issued under Section 4. Protection of action taken in good faith.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Controller or any other person, in respect of any damage caused or likely to be caused which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order issued under Section 4.

17. Any person aggrieved by a decision of the Controller under Section 4 may, within thirty days from the date on which the decision is communicated to him and on payment of such fees as may be prescribed, prefer an appeal to such authority as may be specified by the State Government in this behalf: Appeal.

Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the appellate authority shall after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal as expeditiously as possible.

(3) Every order of the appellate authority under this section shall be final.

18. When any person been convicted under this Act for the contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, the cotton seed in respect of which the contravention has been committed may be forfeited to the State Government. Forfeiture of cotton seed.

19. The State Government may give such directions to the controller, the Seed Inspector or the Seed Analyst as may appear to it to be necessary for carrying out the provisions of this Act or of any rule made thereunder. Power of State Government to give directions.

20. Nothing in this Act shall apply to any cotton seed grown by a farmer and sold or delivered by him on his own premises directly to another farmer for being used by that farmer for the purpose of sowing. Exemption.

21. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the matters, which under any provision of this Act, are required to be prescribed or to be provided for by rules.

(3) All rules made under this Section shall be laid before the Legislative Assembly as soon as possible after they are made.

22. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent Power to remove difficulty.

with the provisions of this Act, as appears it to be necessary or expedient for removing difficulty:

Provided that no order under sub-section (1) shall be make after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provisions of the Seed Act, 1956 (Central Act 54 of 1966)) regulate the quality of seed in respect of notified varieties. For the past few years, in view of the substantial change of pattern of agriculture particularly in usage of seed, the said provisions are found to be inadequate for cotton varieties, research hybrids etc. as a result the entire economy of farmers is affected.

2. By the recent amendment of the Essential Commodity Act, 1955 (No. 10 of 1955) cotton is deleted from the Schedule of the Act. The traders who are dealing in cotton seed including transgenic cotton seed have been resorting to dubious methods and exploitation of poor farmers, particularly in respect of scarce type of cotton seed causing unjustified burden towards seed cost, which is essential and vital input in the 'process of agriculture, which lead the several farmers into debt trap and some times leading to suicides also. The multinational companies are taking undue advantage of their monopoly in respect of scarce type of cotton seed.

3. In the interest of farming fraternity and to have free flow of supply, equi-distribution and prices of all kinds of cotton seeds including transgenic cotton seeds, it is expedient and necessary to bring a Cotton Seed regulation law in consonance with National Seed Policy, 2002.

4. Salient features of the Bill are as under :—

- (1) To constitute and appoint a Controller at the State level;
- (2) To notify the seed testing laboratories;
- (3) To curtail the supply of spurious or inferior quality of seed;
- (4) To evolve a effective regulatory system which will enable effective quality, assurance supply, distribution and fair prices of cotton seed;
- (5) To provide punishment in the event of violation of the provisions of the law;
- (6) To provide adequate mechanism to pay compensation to the farmers in the event of supply of inferior quality of cotton seed;
- (7) To bring regulatory mechanism for regulation of trade of transgenic and genetically modified varieties by way of compulsory D.N.A. finger printing tests or genetic purity test;
- (8) Mandatory registration of all type of cotton seed produced in the State or imported to the State.

5. Hence this Bill.

Bhopal :  
Dated, the 22nd July, 2010.

DR. RAMKRISHNA KUSMARIYA  
Member-in-Charge.